

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021

जयपुर, दिनांक: 10.07.2021

आदेश

**विषय : त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0**

कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आयी है, परन्तु संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अतः हमें अभी भी पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। जैसे-जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा कोरोना संक्रमण की संभावना में लगातार कमी आयेगी तथा बाजारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों को कोविड अनुशासन की अनुपालना करते हुए अतिरिक्त राहत प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

अतः इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक **07.06.2021, 15.06.2021** एवं **26.06.2021** की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2021 के अनुसार सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, उन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को **50** प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 09:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1<sup>st</sup> dose लगवा ली हो।
- प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को **50** प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1<sup>st</sup> dose लगवा ली हो।
- ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का **50** प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु

खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1<sup>st</sup> dose लगवा ली हो।

4. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 के परिशिष्ट 'B' के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज (1<sup>st</sup> dose) लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।

5. आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज (1<sup>st</sup> dose) ले ली हो।
6. जिन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का 1<sup>st</sup> dose of vaccination हो चुका हो, उन दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 04 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टॉफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
7. सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing)।
8. रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away/रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक (Alternate) रूप से बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी।

यदि रेस्टोरेन्ट कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का 1<sup>st</sup> dose of vaccination हो चुका हो, उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 06 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 10:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

9. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना

2

<http://covidinfo.rajasthan.gov.in> → e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में समिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।

विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी।


उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना एवं फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह व अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम 1<sup>st</sup> Dose लगवाना होगा।

विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर भारत-निकासी की अनुमति नहीं होगी परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।

आयोजन कर्ता द्वारा:-

- i. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ii. सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- iii. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- iv. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो इन्ड्री” की सख्ती से पालना की जायेगी।
- v. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे।

- vi. सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जायेगा।
  - vii. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
  - viii. यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा।
10. विभागीय आदेश दिनांक 26.06.2021 के बिन्दु संख्या 11 के क्रम में आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो।
11. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.06.2021 के परिशिष्ट 'A' में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रातः 06:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक अनुमत होंगे।
12. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
13. कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
14. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
15. यह आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5:00 बजे से प्रभावी होगा।
16. शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे।



(अमय कुमार)  
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जैल / होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-परिवम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

सूरेश गुप्ता  
(सुरेश गुप्ता)  
शासन सचिव, गृह